मु0नं0 24/21 राजस्थान सरकार / चौथमल राव

31/5/22

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रमेशचन्द गोयल अधिवक्ता उपस्थित हुए । अप्रार्थी के वकील द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब अप्रार्थी की दुकान से लडडू का सेम्पल लिया तब अप्रार्थी ने घी, बूरा ,बेसन के समस्त बिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दे दिये थे और कहा कि उसके द्वारा सभी सामान इन दुकानो से खरीदता हूँ इसके बावजूद भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा माल बेचने वाले दुकानदारो के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की ना ही उन्हे पक्षकार बनाया गया ।

अतः प्रकरण मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अन्य विक्रेता को भी पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को नये सिरे से इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफत्र हो ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:52:39 IST
Reason: SelfAttested